



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234748
CG-DL-E-01042022-234748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]
No. 236]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 19/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 248 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में दी गयी हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तरीके से किये जायेंगे, यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. सं. 252	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, उपवाक्य (iii) के परंतुक में, अंकों और शब्द “31 मार्च 2022” के स्थान पर अंकों

	(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	और शब्द “30 जून 2022” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. सं. 254 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiii) में, अंकों और शब्द “31 मार्च 2022” के स्थान पर अंकों और शब्द “30 जून 2022” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. सं. 256 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiv) में, अंकों और शब्द “31 मार्च 2022” के स्थान पर अंकों और शब्द “30 जून 2022” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4.	22/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. सं. 258 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiii) में, अंकों और शब्द “31 मार्च 2022” के स्थान पर अंकों और शब्द “30 जून 2022” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	45/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 [सा.का.नि. सं. 795 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2016 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में शर्त (xii) में, अंकों और शब्द “31 मार्च 2022” के स्थान पर अंकों और शब्द “30 जून 2022” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 605/52/2017-डीबीके, खंड-III]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (ट्रावैक)

नोट:

- (1) प्रधान अधिसूचना सं. 16/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 23/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।
- (2) प्रधान अधिसूचना सं. 18/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 254 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 23/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।
- (3) प्रधान अधिसूचना सं. 20/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 256 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 23/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

- (4) प्रधान अधिसूचना सं. 22/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 258 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 23/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।
- (5) प्रधान अधिसूचना सं. 45/2016- सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 को सा.का.नि. 795(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 23/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 19/2022-Customs

G.S.R. 248 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, in the manner as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	16/2015-Customs, dated the 1 st April, 2015 [<i>vide</i> number G.S.R. 252(E), dated the 1 st April, 2015]	In the said notification, in the opening paragraph, in the proviso to clause (iii), for the figures, letters and word “31 st March, 2022”, the figures, letters and word “30 th June, 2022” shall be substituted.
2.	18/2015-Customs, dated the 1 st April, 2015 [<i>vide</i> number G.S.R. 254 (E), dated the 1 st April, 2015]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (xiii), for the figures, letters and word “31 st March, 2022”, the figures, letters and word “30 th June, 2022” shall be substituted.
3.	20/2015-Customs, dated the 1 st April, 2015 [<i>vide</i> number G.S.R. 256 (E), dated the 1 st April, 2015]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (xiv), for the figures, letters and word “31 st March, 2022”, the figures, letters and word “30 th June, 2022” shall be substituted.
4.	22/2015-Customs, dated the 1 st April, 2015 [<i>vide</i> number G.S.R. 258 (E), dated the 1 st April, 2015]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (xiii), for the figures, letters and word “31 st March, 2022”, the figures, letters and word “30 th June, 2022” shall be substituted.

5.	45/2016-Customs, dated the 13 th August 2016 [<i>vide</i> number G.S.R. 795(E), dated the 13 th August, 2016]	In the said notification, in the opening paragraph, in condition (xii), for the figures, letters and word “31 st March, 2022”, the figures, letters and word “30 th June, 2022” shall be substituted.
----	--	---

[F. No. 605/52/2017-DBK (Pt. III)]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

Note:

- (1) The principal notification No. 16/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 252 (E), dated the 1st April, 2015 and was last amended by notification No. 23/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2021.
- (2) The principal notification No. 18/2015-Customs dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 254 (E), dated the 1st April, 2015 and was last amended by notification No. 23/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2021.
- (3) The principal notification No. 20/2015-Customs dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 256 (E), dated the 1st April, 2015 and was last amended by notification No. 23/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2021.
- (4) The principal notification No. 22/2015-Customs dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 258 (E), dated the 1st April, 2015 and was last amended by notification No. 23/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2021.
- (5) The principal notification No. 45/2016-Customs dated the 13th August, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 795 (E), dated the 13th August, 2016 and was last amended by notification No. 23/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2021.